"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकिट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2013—आश्विन 13, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-9/2013/1/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (कार्य परिसीमन) विनियम, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त विनियम में,-

विनियम के परिशिष्ट में, सरल क्रमांक 32 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाये, अर्थात् :-

"33. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत सहायक यंत्री का एक पद.
यह परिशिष्ट ऐसा पढ़ा जायेगा एवं अर्थ लगाया जायेगा जैसे कि उपरोक्त संशोधन उसमें नहीं किया गया था."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 6-9/2013/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-9/2013/1/एक, दिनांक 05-10-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 5th October 2013

NOTIFICATION

No. F 6-9/2013/1/One . — In exercise of the powers conferred by clause (3) of Aricle 320 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in Chhattisgarh Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulation, 1957, namely :-

AMENDMENT

In the said regulation,-

In the appendix of regulation, after serial number 32 and entries relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be added, namely :-

"33. One post of Assistant Engineer of under the Urban Administration and Development Department.
The appendix shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.